

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2021/75

GCMS NO 2022/144

अपील संख्या - 45/21

अपील संख्या - 43/22

1. परसादी पुत्र हरदेव जाति माली निवासी मेलागेट करौली (मृतक)

1/1. मु0केसर बेवा परसादी

1/2. कैलाश पुत्र परसादी

1/3. नांदू पुत्र परसादी

1/4. सीताराम पुत्र परसादी

1/5. रेखा पुत्री परसादी

1/6. माया पुत्री परसादी सभी जातियान माली निवासी मेलागेट चटीकना हाल तीन दरवाजा बाहर करौली तहसील व जिला करौली

2. प्रहलाद पुत्र नारायण

3. रामदुलारी पुत्री नारायण

4. घीसी बेवा नारायण (हजफ)

5. धारा सिंह पुत्र मांगीलाल

6. ब्रम्हा पुत्री मांगीलाल

7. पुष्पा पुत्री मांगीलाल सभी जातियान माली निवासीयान मेलागेट चटीकना हाल तीन दरवाजा बाहर करौली तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. कन्हैया पुत्र रामबक्श जाति माली निवासी सामान्य चिकित्सालय के पास सवाई माधोपुर (फौत)

1/1. नलिनकांत

1/2. सर्वानन्द

1/3. दिलीप

1/4. शकुन्तला पुत्र पुत्रियान कन्हैया जातियान माली निवासीयान सामान्य चिकित्सालय के सामने सवाई माधोपुर

2. रघुनाथ पुत्र भगवतीलाल जाति माली निवासी दंग मोहल्ला करौली

3. प्रेमलता पुत्री भगवतीलाल जाति माली निवासी पोदार कालेज के पास नवलगढ जिला झून्झूनू

4. अंगूरी पुत्री भगवतीलाल माली निवासी अग्रवाल कन्हैया महाविधालय के पास गंगापुर

5. सुशीला पुत्री भगवतीलाल जाति माली निवासी आदर्श कालोनी खेडली फाटक के पास कोटा

6. लक्ष्मी पत्नि लोकमनी जाति माली हाल निवासी जयपुर

7. धर्मन्द्र पुत्र लोकमनी जाति माली हाल निवासी जयपुर(हजफ)

8. कुक्कू पुत्री लोकमनी जाति माली निवासी महकलां गंगापुर सिटी

9. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील करौली

रेस्पो0

(अपीले विरुद्ध मु0नं0 47/17 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 21.6.21 एवं फाईनल डिकी दिनांक 26.7.21 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली)



अभिभाषक अपीला0 श्री नवल किशोर शर्मा

अभिभाषक रेस्पो0 श्री रामजीलाल अग्रवाल

राजस्व अपील प्राधिकारी

दिनांक 03.06.2025

निर्णय

प्रस्तुत दोनो अपीलें अपीलांट की ओर से विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.6.21

न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली पेश की है ।

प्रस्तुत दोनो अपीलो मे पक्षकारान एवं विवाद बिन्दु होने से दोनो अपीलो का निर्णय एक साथ सम्मिलित कर किया जा रहा है।


प्रस्तुत दोनो अपीलो के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादीगण/रेस्पोंडेंट द्वारा दावा बाबत घोषणा जैर दफा 88 एवं बंटवारा दफा 53 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि वादीगण के पूर्वज श्री रामवक्श पुत्र लक्ष्मण जाति माली निवासी दंग मोहल्ला करौली है जिन्हे रामवक्श मुन्शीजी के नाम से भी जाना जाता है उनके वंशावली के अनुसार वादीगण वंशज होने से एक मात्र उत्तराधिकारी है। वंशावली सजरा वाद पत्र मे मद न0 1 मे दर्ज किया है। प्रतिवादीगण के पूर्वज हरदेव उनके वंशावली के अनुसार प्रतिवादी न0 1 ता 7 एवं उत्तराधिकारी है। वंशावली वाद पत्र मे मद न0 1 मे दर्ज की है। वादीगण के पूर्वज रामवक्श के पिता लक्ष्मण का छोटा भाई हुलासी एक अलग व्यक्ति था जो प्रतिवादीगण के पूर्वज हरदेव का पिता हुलासी नहीं है तथा वादीगण के पूर्वज हुलासी से प्रतिवादीगण के पूर्वज हुलासी कई सालो पूर्व मर चुका था मे दोनो हुलासी अलग अलग व्यक्ति थे। कस्बा करौली मे विवादित आराजीयात खसरा न0 8466,8467,8468,8469,8470 कुल किता 5 कुल रकबा 4 बीघा 14 विस्वा वादीगण के पूर्वज रामवक्श एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज हरदेव की मुश्तर्का खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमे वादीगण के पूर्वज रामवक्श एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज हरदेव बराबर बराबर निस्फ-निस्फ हिस्से के मुस्तर्का खातेदार व मुस्तर्का कब्जेकाश्त मे रहे है। उनका स्वर्गवास सन 1961 के आस पास हो गया था लेकिन पक्षकारान मे से किसी भी पक्षकार ने आज तक उनके मरने के बाद राजस्व रिकार्ड मे उनके वंशजो के नाम नामा0 नहीं खुलवाया और वर्तमान मे दोनो ही पूर्वजो के नाम निस्फ निस्फ हिस्से के मुस्तर्का खातेदारी के रूप से चला आ रहा है इस साल प्रतिवादीगण मे से परसादी पुत्र हरदेव ने वरविनाय राजस्व रिकार्ड मे यह देखकर कि पक्षकारान के पूर्वज स्व0रामवक्श व स्व0हरदेव की बल्दियत के रूप मे तुलसी का नाम है समस्त विवादित जमीन को हडपने के इरादे से वादीगण के पूर्वज स्व0रामवक्श मुन्शीजी को हरदेव का खास भाई बताकर तथा निःसन्तान मरना बताकर तहसील करौली मे समस्त विवादित जमीन का प्रतिवादीगण की हकूक खातेदारी दर्ज कराने के लिए दिनांक 16.12.05 को पोशीदा कार्यवाही करने नामा0 संख्या 1806 द्वारा अवैध रूप से बनवाकर जमाबंदी मे विवादित भूमि की सम्पूर्ण खातेदारी प्रतिवादीगण ने अपने नाम के अवैध इन्द्राज करा लिये है जो वादीगण के हकूको पर प्रभावहीन व शून्य है। पक्षकारान के दोनो परिवारो मे तुलसी नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहा है तथा प्रतिवादीगण के परिवार मे भी कोई व्यक्ति रामवक्श अथवा रामवक्श मुन्शीजी के नाम का हरदेव का भाई व उसके परिवार मे इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित जमीन के संबंध मे उपरोक्त अवैध इन्द्राज हो जाने के पश्चात वरविनाय बदनियती प्रतिवादीगण वादीगण के मुश्तर्का कब्जे काश्त मे दिनांक 10.1.06 को आमादा फिसाद हो गये। वादीगण द्वारा मना करने पर ऐलानियां बोले की विवादित जमीन मे आपको कोई हकूक खातेदारी नहीं है। तब राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर


सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.1.06 को हुई थी। प्रतिवादीगण ने वादीगण के पूर्वज स्व० रामवक्श मुन्शीजी को अपने निःसंतान भाई की मृत्यु बताकर विवादित जमीन के संबंध में दिनांक 21.12.05 को तहसील के कर्मचारियों से मिलकर नामा० संख्या 1806 खुलवाकर जमीन से अवैध इन्द्राज करवा लिये है। जिससे हकूक वादीगण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा प्रतिवादीगण का विवादित जमीन का बंटवारा करने से भी इन्कार है। इसलिए दावा घोषणा एवं बंटवारा कराने का अधिकारी अर्थात् वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजीयात खसरा न० 8466 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, 8467 रकबा 3 विस्वा, 8468 रकबा 1 विस्वा, 8469 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, 8470 रकबा रकबा 17 विस्वा कुल कित्ता 5 कुल रकबा 4 बीघा 14 विस्वा वाके कस्बा करौली पर वादीगण के वंशमुल प्रतिवादीगण निस्फ निस्फ हिस्से के हकूक खातेदारी घोषित किये जावे तथा प्रतिवादी न० 8 को निर्देशित किया जावे कि उक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराये जावे तथा विवादित जमीन का नियमानुसार बंटवारा कराया जाकर वादीगण की निस्फ निस्फ हिस्से की भूमि पर वाहिद खातेदारी कराई जाकर वाहिद कब्जा वादीगण कराने की डिक्री वादीगण के हक में दी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो० द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो० का वाद पत्र दिनांक 26.6.21 को प्राथमिक डिक्री किये जाने एवं दिनांक 26.7.21 को फाईनल डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार तथा दस्तावेजी साक्ष्य के एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का बिना विश्लेषण एवं विवेचन किये विधि विरुद्ध रूप से रेस्पो० को विवादित भूमि का 1/2 का खातेदार घोषित कर बंटवारा बाबत डिक्री एवं निर्णय पारित करने में महान भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो० द्वारा कतई गलत मिथ्या सजरा प्रस्तुत किया गया जिसे किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं किया जाबब दावे में अपीलांट द्वारा सही सजरा प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने प्रमाणित होते हुए भी इग्नोर कर दिया। विवादित भूमि खसरा न० 8466,8467,8468,8469,8470 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 4 बीघा 14 विस्वा कस्बा करौली से रेस्पो० का कोई संबंध वास्ता नहीं है उक्त भूमि अपीलांटगण के बुजुर्ग रामवक्श, हरदेव पिसरान तुलसी जाति माली की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। रेस्पो० का कोई पूर्वज हुलासी नहीं था। रेस्पो० परसादी के बाबा हुलासी उर्फ तुलसी थे तुलसी के चार लडके थे, खासा व मदन की करौली में अकाल मृत्यु हो गई रामवक्श पुत्र तुलसी उर्फ हुलासी अपीलांटगण के बाबा अविवाहित थे रामवक्श के पिता का नाम तुलसी उर्फ हुलासी था जबकि रेस्पो० ने अपने सजरे में रामवक्श को लक्ष्मण का पुत्र बताया है। वह रामवक्श अलग था अपीलांट का बाबा नहीं था। रेस्पो० ने उक्त रामवक्श पुत्र लक्ष्मण को अपीलांटगण के बाबा रामवक्श पुत्र तुलसी उर्फ हुलासी को गलत रूप से अपना बाबा बताकर मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत कर उक्त दावा डिक्री कराया है। जबकि दोनों रामवक्श अलग अलग व्यक्ति थे। अपीलांटगण के बाबा रामवक्श, हरदेव, चिरंजी, फैलू एवं ग्यारसी बेवा तथा


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपर

पंचायती चौबे की माफी की भूमि को काशत करते थे विवादित भूमि रेस्पो0 की शामलाती होना कतई मिथ्या एवं गलत है। केवल मात्र अपीलांटगण के बाबा रामवक्श व हरदेव की खातेदारी एवं कब्जे काशत की भूमि है माफी जप्त होने के बाद अपीलांटगण के पूर्वज वाहिद खातेदारी एवं कब्जे काशत की भूमि सेटलमेंट से रही है। रेस्पो0 का उक्त भूमि से कोई संबंध वास्ता नहीं है। अपीलांटगण ने ही विवादित भूमि में अपना कुआ बनाया था तथा 1977 से बिजली की मोटर लगी हुई है। जिससे रेस्पो0 का कोई संबंध नहीं रहा है। सेटलमेंट से पूर्व उक्त भूमि माफी की थी। माफीदार चिरंजी, फेलू आदि चतुर्वेदी एवं पंचायती चौबे की थी जिसको अपीलांटगण के पूर्वज काशत करते थे माफी जप्त होकर अपीलांटगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी हुई तथा पर्चा सेटलमेंट अपीलांटगण के बाबा रामवक्श, हरदेव पुत्रान तुलसी के नाम बना तथा पर्चा सेटलमेंट में उक्त खातेदार काशतकार दर्ज है। रामवक्श एवं हरदेव के स्वर्गवास हो जाने पर अपीलांटगण उक्त भूमि के खातेदार काशतकार है तथा उक्त भूमि अपीलांटगण की खातेदारी में दर्ज है। रेस्पो0 ने रामवक्श को जो कि अपना पुरखा बताया है उसके पिता के नाम लक्ष्मण है। जिसको रेस्पो0 स्वयं स्वीकार करते हैं। रामवक्श पुत्र लक्ष्मण के नाम उक्त भूमि कभी भी नहीं रही है। उनके नाम अलग भूमि है। जिसको रेस्पो0 ने छिपाया है। जबकि अपीलांटगण के बाबा रामवक्श तुलसी उर्फ हुलासी का पुत्र है जो समस्त दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। रेस्पो0 के पुरखा भेरूलाल की भूमि को जोतते थे माफी जप्त होने पर उक्त भूमि रेस्पो0 के पूर्वज के नाम लगी। विरासत का नामा0 अपीलांटगण के नाम नियमानुसार खुला है। रामवक्श तथा हरदेव दोनों माँ जाये भाई थे रामवक्श अविवाहित फौत हुआ था अर्थात तुलसी उर्फ हुलासी के चार पुत्रों में से रामवक्श, खासा, मदन अविवाहित फौत हुए थे केवल हरदेव की शादी हुई थी। तथा अब एक मात्र अपीलांट वारिस है तथा वादी के बाबा रामवक्श का कोई भाई तुलसी अथवा हुलासी नहीं था। विवादित भूमि केवल अपीलांटस के बाबा रामवक्श तथा हरदेव की खातेदारी की भूमि है। अपीलांटस विवादित भूमि के खातेदार काशतकार है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा समस्त राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया था जिसमें रामवक्श एवं हरदेव पुत्रान तुलसी अपीलांटस के बाबा खातेदार दर्ज है। किसी भी रिकार्ड में रामवक्श पुत्र लक्ष्मण दर्ज नहीं है। रेस्पो0 द्वारा जो लगान की रसीदे प्रस्तुत की है उसमें कहीं भी विवादित भूमि का नम्बर अंकित नहीं है। अदालत मातहत ने रामवक्श पुत्र हुलासी को रेस्पो0 का बाबा होना गलत माना है। जबकि रामवक्श के पिता का नाम लक्ष्मण था। रामवक्श पुत्र हुलासी अपीलांटस का बाबा था। अधिनस्थ न्यायालय ने सेटलमेंट में हुलासी के स्थान पर तुलसी गलत दर्ज होना कतई गलत निष्कर्ष निकाला है। जबकि स्वयं रेस्पो0 के सजरे के अनुसार उनके बाबा रामवक्श के पिता का नाम लक्ष्मण दर्ज है। जिसका वह स्वीकार करते हैं। रेस्पो0 ने अपने सजरे में हुलासी को देशाराम का पुत्र होना कतई गलत दर्ज किया है। रेस्पो0 ने अपने सजरे में हुलासी को लक्ष्मण का भाई होना दर्ज किया है तो फिर अदालत मातहत ने अपने निर्णय में रामवक्श पुत्र लक्ष्मण को रामवक्श पुत्र हुलासी का किसी प्रकार निष्कर्ष किस प्रकार निकाला जो अपने आप में विरोधाभासी है। रामवक्श लक्ष्मण का पुत्र था ना कि हुलासी का जो स्वयं रेस्पो0 का दावे तथा सजरे में अंकित है तथा अदालत मातहत ने इस आधार पर विवादित भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी की होना कतई विधि विरुद्ध तथा दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत मानकर तनकी संख्या 1 का निर्णय कर भारी भूल की है। पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त राजस्व रिकार्ड से उक्त भूमि अपीलांटस एवं रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी की होना कतई सिद्ध नहीं है। समस्त राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि अपीलांटस के बाबा रामवक्श


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

हरदेव पुत्र तुलसी के नाम का अंकन है। कही भी रामवक्श पुत्र लक्ष्मण अंकित नहीं है। जबकि रेस्पो0 के तथाकथित बाबा रामवक्श के पिता का नाम लक्ष्मण था तथा हुलासी तथा देशाराम का कोई भी रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 को विधि विरुद्ध रूप से रेस्पो0 को 1/2 भाग की भूमि का खातेदार घोषित कर बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी करने में महान भूल की है। जो काबिले खारिज है। महज वोटर लिस्ट के आधार पर किसी को भी खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री इम्प्रोपर एवं इल्लिगल तथा विदाउट ज्युरीडेक्शन होने से काबिले खारिज है। दावा मियाद बाहर था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई फाईन्डिंग नहीं दी गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार करवाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री एवं फाईनल डिक्री को अपास्त की जाकर दावा रेस्पो0/वादी खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कानूनी तौर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की पत्रावली पर आये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कोई गुजाईश नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य है। रेस्पो0/वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 24 दस्तावेजी सबूतों का कोई खण्डन नहीं हुआ है। प्रदर्श 18 गिरदावरी प्रहलाद द्वारा रामवक्श पुत्र हुलासी मुशीजी दर्ज होना स्वीकार किया है तथा प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से वादीगण रेस्पो0 के दस्तावेजों का कोई खण्डन नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में सभी तथ्यों का समावेश करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया गया है। हस्तगत प्रकरण में यह बिन्दु तय होना है कि प्रतिवादी अपीलांट के परिवार में कोई व्यक्ति रामवक्श नाम का नहीं रहा तथा पक्षकारान के परिवार में तुलसी नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहा। इस बात को साबित करने के लिए रेस्पो0 वादीगण ने प्रदर्श 3 प्रदर्श 4 प्रदर्श 6 मतदाता सूचियां पेश की हैं। जिसमें अपीलांट प्रतिवादीगण के समस्त परिवारजन व पुरखा हरदेव का नाम दर्ज है लेकिन इसमें रामवक्श नाम का कोई व्यक्ति अपीलांट प्रतिवादी के परिवार में नहीं है। प्रदर्श 6 मतदाता सूची 1961 की है जिसमें 22 परिवारजनों के नाम हैं। हरदेव का कोई भाई रामवक्श दर्ज नहीं है जबकि अपीलांट हरदेव का मरना सन 1974 में दर्ज किया है तथा रामवक्श का करना सन 1970 में दर्ज किया है। रेस्पो0 वादीगण ने प्रदर्श 3 मतदाता सूची 1970 की पेश की है। जिसमें रामवक्श अथवा सोना अपीलांट के परिवार में दर्ज नहीं है। इससे यह साबित होता है कि अपीलांट के परिवार में कोई व्यक्ति रामवक्श नहीं था। रेस्पो0 के पूर्वज रामवक्श को अपीलांट प्रतिवादीगण ने अपना होना तथा उर्फ सोना दर्ज करना जमीन हड़पने के लिए दर्ज किया है तथा अपीलांट अपने जबाबदावा में रामवक्श की उर्फियत सोना दर्ज किया है जबकि सर्मथन में एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। दावा पेश करने के बाद ही अपीलांट प्रतिवादीगण ने रामवक्श उर्फ सोना दर्ज किया है। रामवक्श उर्फ सोना अपीलांट के परिवार में होता तो मतदाता सूची प्रदर्श 3, 4 व 6 में नाम होता और रामवक्श उर्फ सोना प्रतिवादी परसादी ने प्रदर्श 12 ता 15 दर0 पेश करते समय दर्ज नहीं की बल्कि जो परिवार में ना होते हुए तीन तीन उर्फियत दुलसी उर्फ तुलसी उर्फ हुलासी मात्र रेस्पो0 वादीगण की जमीन हड़पने के लिए दिनांक 5.11.05 को अवैध नामा0 संख्या 1806 दिनांक 21.12.05 को तहसील कर्मचारियों से मिलकर गलत मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराये जो नामा0 एक माह पूर्व के है। यानि सारी अवैध कार्यवाही जमीन रेस्पो0 वादीगण को हड़पने के लिए मात्र प्रदर्श 12 ता 15 के जरिये की है। इससे यह स्पष्ट है कि दर0 मृत्यु प्रमाण



राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पत्र मे रामवक्श के पिता के नाम के आगे तुलसी उर्फ दुलसी दर्ज किये है। जबकि रामवक्श उर्फियत सोना दर्ज नहीं की है। चारो प्रदर्शो मे तीन तीन उर्फियत साजिशी दर्ज की है जो अवैध है। दावा दायरी दिनांक 17.3.06 से पूर्व रामवक्श की उर्फियत सोना की भी दर्ज नहीं कराई है इससे स्पष्ट होता है कि रामवक्श अपीलान्ट के परिवार मे कोई व्यक्ति था ही नहीं। रेस्प0 वादीगण ने प्रदर्श 7 व 8 भी पेश किये है जिनमे रामवक्श की उर्फियत सोना दर्ज नहीं है ना ही प्रदर्श 11 अपील मीमो मे रामवक्श की उर्फियत सोना दर्ज है तथा जबाब दावा मे कोई भाई रामवक्श नाम का हरदेव का ना होते हुए भी दर्ज किया है तथा उर्फियत सोना गलत दर्ज की है। तुलसी नाम का व्यक्ति भी दोनो पक्षकारान के परिवार मे नहीं है। उर्फियत दर्ज करने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि एक ही व्यक्ति के दो नाम है। डी डब्लू 2 मोती गवाह भी कहता है कि तुलसी नाम का कोई व्यक्ति मैने नहीं देखा। यह स्वीकृत तथ्य है कि रेस्प0 के पूर्वज रामवक्श को मुशीजी के नाम से जाना जाता था। जो वादीगण रेस्प0 के पूर्वज है। अपीलान्ट का यह कहना कि हुलासी वादीगण के परिवार मे नहीं है। उसके लिए रेस्प0 वादीगण ने प्रदर्श 5 मतदाता सूची 1961 पेश की है। जिसमे रामचन्द्र के पिता का नाम व रामहेत के पिता के नाम के आगे हुलासी दर्ज है तथा रामवक्श मुंशी के चाचा हुलासी थे तथा रामवक्श मुंशी के पिता लक्ष्मण सेटलमेंट से काफी अर्सा पूर्व ही फौत हो गये और मोहल्ला दंग माली हुलासी के मतदाता सूची 1961 प्रदर्श 5 के क्रम संख्या 361 लगायत 382 तथा 400 पर दर्ज व्यक्ति हुलासी के वारिसान व परिवारजन तथा क्रम संख्या 377 पर रामहेत/हुलासी क.स. 400 पर रामचन्द्र/हुलासी दर्ज है तथा क.स. 388 पर रामवक्श मुंशी का नाम दर्ज है। रामवक्श मुंशी के चाचा हुलासी का बडा परिवार होने से मुशी जी रामवक्श को हुलासी का लडका समझते थे तथा डी डब्लू 2 मोती गवाह अपनी जिरह मे सिबी के पिता का नाम रामचन्द्र बताता है जो प्रदर्श 5 के क.स. 400 की ताईद करता है। अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने प्रदर्श 5 के विरोध मे एक शब्द भी नहीं कहा ना ही कोई दस्तावेज पेश किया। प्रदर्श 3, 4 व 6 मे ना तो रामवक्श दर्ज है ना ही सोना दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण अपीलान्ट के परिवार मे रामवक्श नाम का कोई व्यक्ति नहीं था ना ही तुलसी था। मात्र एक ही व्यक्ति वादीगण/रेस्प0 के पूर्वज रामवक्श रहे है। वादीगण रेस्प0 ने प्रदर्श 18 सम्वत 2010-13 दस्तावेज पेश किया है जिसमे रामवक्श पुत्र हुलासी मुंशीजी दर्ज है इससे स्पष्ट होता है कि प्रदर्श 18 मे दर्ज मुंशीजी को रामवक्श मुंशीजी के नाम से जाना जाता था। पिता के नाम के आगे हुलासी दर्ज है यानि मुंशीजी के चाचा हुलासी दर्ज हो गया जिसके बाबत अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने एक भी बात का विरोध नहीं किया बल्कि डी डब्लू 1 प्रहलाद अपीलान्ट अपनी जिरह मे प्रदर्श 18 का सही होना बताता है और यहाँ तक कहता है कि रामवक्श को मुंशीजी के नाम से जाना जाता है। वादीगण/रेस्प0 ने प्रदर्श 1 सम्वत 2060-63 जिसमे हरदेव व रामवक्श के नाम दर्ज है। रामवक्श रेस्प0 का पूर्वज रहा है तथा अपीलान्ट के परिवार मे कोई व्यक्ति रामवक्श के नाम का नहीं रहा। प्रदर्श 16 सम्वत 2015 जमाबंदी पेश की है। जिसमे रामवक्श पुत्र तुलसी दर्ज है तथा हरदेव के नाम के आगे वल्दियत दर्ज नहीं है। जो खसरा न0 8470 रकबा 17 विस्वा की है। रेस्प0 वादीगण ने प्रदर्श 16 व 17 जमाबंदी पेश की है जिसमे पक्षकारान के परिवार मे तुलसी नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहा जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की है। प्रदर्श 7 नामा0 दिनांक 17.11.83 को अपीलान्ट प्रतिवादीगण के पूर्वज नारायण व परसादी ने खुलवाने की कोशिश की जो संदेह के आधार पर खारिज हुआ। जिसकी अपील प्रदर्श 9 व 11 के करने पर निर्णय दिनांक 27.5.85

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रदर्श 10 के जरिये रिमांड की गई जो दोबार जाँच करने के आदेश दिये गये। प्रदर्श 8 नामा0 संख्या 843 दिनांक 22.6.88 रेस्पो0 वादीगण ने पेश किये जिसमे गिरदावर ने विस्तृत जाँच करने पर पाया कि रामवक्श लाऔलाद फौत नही है उसके तीन लडके है जिनकी पूर्ण जानकारी कर नामा0 दर्ज करे जिसमे रामवक्श के वारिस लोकमणी, कन्हैया, भगवतीलाल के लडके रघुनाथ व फाबूली वेवा भगवतीलाल दर्ज है जो रेस्पो0 वादीगण है। जिसकी प्रतिवादीगण ने कोई अपील नही की। इससे स्पष्ट है कि रेस्पो0 वादीगण के नाम आ जाने पर उसके विरुद्ध अपीलांट प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया और चुप रहे जबकि उस खारिज नामा0 की जानकारी अपीलांट प्रतिवादीगण को रही है। रेस्पो0 वादीगण के पूर्वज रामवक्श ने हस्तलिखित तहरीर मे दिनांक 20.7.64 को प्रदर्श 20 तथा प्रदर्श 21 तथा दिनांक 21.7.64 को भेज जमा कराने की है जिसमे शामलाती होना दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि भूमि शामलाती रही है। रेस्पो0 वादीगण ने प्रदर्श 22, 23, 24 भेज की रसीद पेश की है। जो रेस्पो0 वादीगण के पूर्वज रामवक्श द्वारा जमा कराने की विवादित आराजीयात की है। रामवक्श द्वारा पडौसी अब्दुल हफीज से विवाद होने पर दी जिसमे लिखा है कि मेरी आराजी ख0न0 8470 रकबा 17 विस्वा वर्वाद हो गई है यानि उक्त आराजी वादीगण/रेस्पो0 के पूर्वजो तथा वादीगण रेस्पो0 की रही है। इस सभी दस्तावेजो से विधित है कि विवादित आराजीयात अपीलांट व रेस्पो0 की मुश्तर्का खातेदारी कब्जे काश्त की रही है। अपीलांट का कहना है कि रेस्पो0 के पूर्वज रामवक्श के पिता का नाम लक्ष्मण था तथा विवादित आराजीयात तुलसी उर्फ हुलासी के नाम है। हुलासी नाम का कोई व्यक्ति रेस्पो0 के परिवार मे नही रहा। इसके लिए रेस्पो0 वादीगण स्वयं वादपत्र मे कहकर आये है कि हुलासी रामवक्श वादीगण के पूर्वज का चाचा था इसलिए हुलासी का नाम बल्दियत मे दर्ज है और रेस्पो0 ने प्रदर्श 18 पेश की है जिसमे रामवक्श पुत्र हुलासी मंशीजी दर्ज है और मुंशीजी वादीगण रेस्पो0 के पूर्वज है तथा प्रदर्श 5 पेश की है जिसमे रामवक्श के काका हुलासी का बडा परिवार दर्ज है जिनका कोई खण्डन अपीलांट ने नही किया है। अपीलांट प्रतिवादीगण का यह कहना कि विवादित आराजीयात मे कुआ खुदवाया तथा मोटर लगी हुई है तो रेस्पो0 वादीगण ने कुआ वदिशा उत्तर मे प्रतिवादीगण अपीलांट के मुश्तर्का हिस्सा मे होना बताया है तथा अपीलांट ने जमाबंदियो के अलावा कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नही किया है। इसलिए विवादित आराजीयात अपीलांट के पूर्वज हरदेव तथा रेस्पो0 के पूर्वज रामवक्श की रही है। रेस्पो0 वादीगण ने दस्तावेज प्रदर्श 8 नामा0 संख्या 483 जिसमे वादीगण रेस्पो0 का सजरा दर्ज है तथा नोट अंकित है इसका कोई खण्डन अपीलांट/प्रतिवादीगण ने नही किया। प्रदर्श 8 ता 11 बाबत भी एक बात नही की है। अपीलांट ने तथ्यो को छिपाते हुए जबाब देही की है। उर्फियत गलत दर्ज किये है। प्रतिवादीगण अपीलांट के जबाबदावा के सजरा मे नारायण परसादी की बहन नारायणी को दर्ज नही किया है छिपाया है। नारायणी के धारा, ब्रम्हा, पुष्पा लडके लडकी है। नारायण की लडकी रामदुलारी का नाम भी दर्ज नही किया है। सजरा गलत पेश किया है। इन सभी तथ्यो से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण के परिवार के कोई व्यक्ति रामवक्श नाम का रहा है या नही तथा पक्षकारान के परिवार मे तुलसी नाम का कोई व्यक्ति रहा है या नही रहा है। पत्रावली मे


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

उपलब्ध मतदाता सूची प्रदर्श 3 व 4 सन 1970 व प्रदर्श 6 मतदाता सूची सन 1961 मे अपीलांट/प्रतिवादीगण के समस्त परिवार व पुरखा हरदेव का नाम दर्ज है लेकिन इसमके रामवक्श नाम का कोई व्यक्ति प्रतिवादीगण/अपीलांट के परिवार मे नही है। प्रदर्श 6 मतदाता सूची 1961 जिसमे 22 परिवारजनो के नाम है हरदेव का कोई भाई रामवक्श दर्ज नही है। मतदाता सूची प्रदर्श 3 सन 1970 मे रामवक्श अथवा सोना प्रतिवादीगण/अपीलांट के परिवार मे दर्ज नही है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण के परिवार मे रामवक्श नाम का कोई व्यक्ति नही था। अपीलांट/प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किया है जिससे रामवक्श का उनके परिवार का होना साबित हो सके। यदि रामवक्श उर्फ सोना प्रतिवादीगण/अपीलांट के परिवार मे होता तो मतदाता सूची प्रदर्श 3 व 4 तथा 6 मे होता। प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रदर्श 11 मे भी रामवक्श उर्फ सोना दर्ज नही है तुलसी नाम का व्यक्ति भी प्रस्तुत दस्तावेजो मे दोनो पक्षो के परिवार मे नही होना स्पष्ट है। गवाह डी डब्लू 2 मोती द्वारा भी अपने साक्ष्य मे तुलसी नाम का कोई व्यक्ति नही देखने का जिरह मे स्वीकार किया है। रामवक्श को मुंशीजी के नाम से जाना जाता था यह गवाह प्रहलाद पी डब्लू 1 ने अपनी जिरह मे स्वीकार किया है। प्रदर्श 18 खसरा गिरदावरी मे भी रामवक्श पुत्र हुलासी मुंशीजी दर्ज है इससे स्पष्ट है कि रामवक्श को रामवक्श मुंशीजी के नाम से जाना जाता था। वादग्रस्त भूमि अपीलांट/प्रतिवादीगण एवं रेस्पों/वादीगण के पूर्वज रामवक्श व हरदेव की संयुक्त खातेदारी की भूमि होना जमाबंदी सम्वत 2060 से 63 प्रदर्श 16 से होती है। नामा संख्या 843 दिनांक 22.6.88 प्रदर्श 8 की जाँच मे गिरदावर ने माना है कि रामवक्श लाओलाद फौत नही हुआ है। उसके तीन लडके लोकमनी, कन्हैया, भगवतीलाल के लडके रघुनाथ व फाबुली बेवा भगवतीलाल दर्ज है। जो वादीगण/रेस्पों है। वह नामा संख्या 843 खारिज हो चुका है जिसकी जानकारी अपीलांट को भेली भौति होने पर भी अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा उसकी कोई अपील नही की है। इससे सम्पूर्ण तथ्यो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण/रेस्पों के पूर्वज रामवक्श व अपीलांट/प्रतिवादीगण के पूर्वज हरदेव की संयुक्त खातेदारी की भूमि होना साबित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र मे विधि अनुसार तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किये जाने के उपरान्त वादी का वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार से प्राप्त विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष की सहमति प्रदान किये जाने पर वाद पत्र फाईनल डिक्री किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सिद्धान्तो के अनुरूप ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपीले खारिज किये जाने योग्य है।

अतःदोनो अपीले अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 47/17 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.6.21 व फाईनल डिक्री दिनांक 26.7.21 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलियो मे पृथक पृथक संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बाबूल)
रसजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर